राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषयः भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2017–23) में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए वांछित कार्रवाई कराने के संबंध में।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2017–23) राजस्थान विधान सभा में दिनांक 19–02–2026 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/en पर उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (स्था.नि.प.रा. समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाए जाने हैं। विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित नहीं करने को समिति द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया जाता है।

अतः उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट आपके विभाग से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि 3 माह (दिनांक 18–05–2026 तक) में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (स्था.नि.प.रा. समिति) को 25 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधानसभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियां प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), राजस्थान तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भिजवाए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करावें। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी अमल में लायी जानी अपेक्षित है।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा. टीप. क्रमांक : प. 1(3) वित्त/अंकेक्षण/2026 जयपुर, दिनांक: 09-03-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I)/महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग एवं समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(भवानी सिंह मीणा)
संयुक्त शासन सचिव